न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 48/2021

अरशद पुत्र जान मोहम्मद जाति मेव मुसलमान निवासी खेरली कंकर, 169 नुहूं मेवात हरियाणा

...प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए सहायक लोक अभियोजक, दौसा

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा एफआईआर नं0 101/2021 पुलिस थाना सदर दौसा जुर्म दफा 3,5,6,8,9 गोवंश अधिनियम, 1995

उपस्थितः1. श्री अब्दुल मजीद खान, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राम गिलास मीना, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः29.09.2021

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा द्वारा दिनांक 26.03.2021 को 09 गायें, 11 बैल/सांड, 01 बछडा, 01 बछडी भरकर ले जा रहे वाहन संख्या एचआर 74 ए 4862 को गोवंश अधिनियम के तहत जुर्म में जब्त कर लिया गया। उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्द किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति पैरोकार सरकार को दी गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा द्वारा दिनांक 26.03.2021 को 09 गायें, 11 बैल/सांड, 01 बछडा, 01 बछडी भरकर ले जा रहे वाहन संख्या एचआर 74 ए 4862 ट्रक को गोवंश अधिनियम 1995 की धारा 3, 5, 6, 8 व 9 अंतर्गत जब्त कर लिया गया। उक्त प्रकरण में तफ्तीश पूरी हो चुकी है। उक्त जब्तशुदा वाहन थाने में खडा–खडा खराब हो रहा है। वाहन के खडा रहने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उक्त वाहन की अब पुलिस को अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी को वाहन संख्या एचआर 74 ए 4862 ट्रक को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम–1995 की धारा 6 ए के अंतर्गत वाहन सुपुर्दगी की शक्तियॉ माननीय न्यायालय जिला

कलेक्टर को प्रदत्त है। पैरोकार सरकार द्वारा यह भी दलील दी कि प्रकरण में अभी तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। साथ ही न्यायालय में चालान भी पेश नहीं हुआ है तथा वाहन का खलासी मुल्जिम तोफीक पुत्र मकबूल जाति मुसलमान निवासी बगडावत मोहल्ला आकेडा पुलिस थाना नुहूं जिला मेवात हरियाणा की गिरफ्तारी भी शेष है। अभी तक अनुसंधान पूर्ण नहीं होने से एवं खलासी की गिरफ्तारी शेष होने से वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस थाना सदर दौसा द्वारा दिनांक 26.03.2021 को जुर्म धारा 3,5,6,,8,9 गोवंश अधिनियम के अंतर्गत गौवंश मय ट्रक संख्या एचआर 74 ए 4862 जब्त किया जाकर एफआईआर संख्या 101/2021 दर्ज की गई । प्रकरण में खलासी मुल्जिम तोफीक पुत्र मकबूल जाति मुसलमान निवासी बगडावत मोहल्ला आकेडा पुलिस थाना नुहूं जिला मेवात हरियाणा की गिरफ्तारी होना शेष है। पैरोकार सरकार की बहस से सहमत है कि प्रकरण में अभी तक पूर्ण अनुसंधान नहीं हुआ है एवं खलासी की गिरफ्तारी भी नही हुई है। प्रकरण में चालान भी पेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में छोडा जाना उचित नहीं समझते है। प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पुलिस केस डायरी लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.9.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा